377

संख्याः वित्त–आई.एफ. (छ)5–3/93–IV
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (संस्थागत वित) विभाग

प्रेषितः

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा,
शिमला–171004

दिनांक, शिमला–171002 09-3- 2016

विषयः– **हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 को विधान सभा सत्र में पेश करने बारे।**

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि मन्त्रिपरिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 को विधान सभा सत्र में पेश करने हेतु अनुमोदित किया गया है। इसलिए मैं उक्त विधेयक को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सत्र में पेश करना चाहता हूं।

अतः विधेयक की 3 प्रतियां (अधिप्रमाणित) आपको आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूं।

भवदीय,

(बीरभद्र सिंह)
मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेश

2016 का विधेयक संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. नई धारा 13क, 13ख, 13ग, 13घ, 13ङ, 13च और 13छ का अन्तःस्थापन।

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2016 है।

धारा 2 का संशोधन।

2000 का 19

2. हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में,–

(अ) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(ख) "निक्षेप" के अन्तर्गत किसी वित्तीय स्थापन द्वारा धन की कोई प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तु का प्रतिग्रहण आएगा जिसे किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् या अन्यथा या तो नकद या वस्तु रूप में या किसी विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में प्रसुविधा सहित या बिना किसी प्रसुविधा के ब्याज, बोनस, लाभ के रूप में या किसी अन्य रूप में वापस किया जाना हो और सदैव इसके अन्तर्गत समझा जाएगा किन्तु निम्नलिखित इसके अन्तर्गत नहीं है–

(i) शेयर पूंजी द्वारा या कैसे भी डिबेंचर, बॉण्ड द्वारा या दिए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों और भारतीय

प्रतिभूति और विनियम अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन आने वाली किसी अन्य लिखत द्वारा जुटाई गई रकम, 1992 का 15

(ii) रकमें जिनका पूंजी के रूप में किसी फर्म के भागीदारों द्वारा अभिदाय किया गया हो,

(iii) किसी अधिसूचित बैंक या सहकारी बैंक या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अन्य बैंककारी कम्पनी से प्राप्त रकमें, 1949 का 10

(iv) निम्नलिखित से प्राप्त कोई रकम–

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,

(ख) राज्य वित्तीय संस्था,

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 6–क में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय संस्था, या 1964 का 18

(घ) कोई अन्य संस्था जो इस निमित्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,

(v) कारबार के सामान्य अनुक्रम में निम्नलिखित द्वारा प्राप्त रकम–

(क) प्रतिभूति निक्षेप,

(ख) डीलरशिप निक्षेप,

(ग) अग्रिम धन, या

(घ) माल या सेवाओं की मांग के विरुद्ध अग्रिम,

(vi) किसी व्यष्टि या फर्म या व्यष्टियों के किसी संगम, जो राज्य में तत्समय प्रवृत्त साहूकारी से सम्बन्धित किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित निकाय न हो, से प्राप्त कोई रकम, और

(vii) चिट की प्राप्ति में अभिदानों के रूप में प्राप्त कोई रकम;

स्पष्टीकरण-I.—"चिट" का वही अर्थ होगा जो चिट फण्ड अधिनियम, 1982 की धारा 2 के खण्ड (ख) में है।

1982 का 40

स्पष्टीकरण-II.—कोई संव्यवहार इस खण्ड के अर्थान्तर्गत चिट नहीं है, यदि ऐसे संव्यवहार में,–

(i) अभिदाताओं में से कोई एकमात्र, न कि समस्त भावी अभिदानों के संदाय के किसी दायित्व के बिना इनाम रकम प्राप्त करता हो, या

(ii) समस्त अभिदाता, भावी अभिदानों के संदाय के दायित्व सहित, बारी–बारी से चिट रकम प्राप्त करते हों।

स्पष्टीकरण.—किसी क्रेता द्वारा, किसी सम्पत्ति (चाहे चल या अचल हो) के विक्रय पर किसी विक्रेता को दिया गया कोई उधार इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए निक्षेप नहीं समझा जाएगा;

(ग) "वित्तीय स्थापन" से किसी स्कीम या प्रबन्ध के अधीन या किसी अन्य रीति में निक्षेप अभिप्राप्त करने के कारबार को कार्यान्वित करने के लिए कोई व्यष्टि, व्यष्टियों का संगम, फर्म या कम्पनी अधिनियम, 1956 या कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी अभिप्रेत है किन्तु इसमें किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके नियन्त्रणाधीन कोई निगम या कोई सहकारी सोसाइटी या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी सम्मिलित नहीं है;"; और

1956 का 1
2013 का 18

(आ) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(च) "अभिहित न्यायालय" से धारा 6 के अधीन गठित अभिहित न्यायालय अभिप्रेत है।"।

नई धारा 13क, 13ख, 13ग, 13घ, 13ङ, 13च और 13छ का अन्तःस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"वित्तीय स्थापनों द्वारा रिपोर्ट और विवरणी।

13क. (1) प्रत्येक वित्तीय स्थापन, जो इस रूप में अपना कारबार हिमाचल प्रदेश राज्य में इस अधिनियम के प्रारम्भ को या इसके पश्चात् प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है तो वह जिला कलक्टर और जिला के पुलिस अधीक्षक को, ऐसे कारबार को कार्यान्वित करने के अपने प्राधिकार के बारे में ब्यौरों, राज्य में वित्तीय स्थापन की अवस्थिति और इसके मुख्य शाखा कार्यालय, यदि कोई है, जहां कहीं अवस्थित हो और राज्य में वित्तीय स्थापन के कारबार या कार्यकलापों के प्रबन्धन या संचालन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के स्थायी पते और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जो विहित की जाएं, का वर्णन करते हुए रिपोर्ट करेगा।

(2) ऐसी रिपोर्ट, उस तारीख जिसको वित्तीय स्थापन इस रूप में राज्य में अपना कारबार प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है, से सात दिन के भीतर की जाएगी :

परन्तु ऐसा वित्तीय स्थापन, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व इस रूप में अपना कारबार कार्यान्वित कर रहा है, ऐसे प्रारम्भ की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसी रिपोर्ट करेगा।

(3) प्रत्येक वित्तीय स्थापन, अपने कारबार और वित्तीय स्थिति, अपने निवेश के क्षेत्र और राज्य के भीतर और इससे बाहर इसके द्वारा किए गए धन के विनिधान (निवेश) की अवस्थिति, यदि कोई है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं, की बाबत जिला कलक्टर और जिला के पुलिस अधीक्षक को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अवसान से एक मास के भीतर त्रैमासिक

विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(4) जो कोई इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

अपराधों का शमन।

13ख. (1) धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराध का, अभियोजन संस्थित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् अभिहित न्यायालय की अनुज्ञा से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निक्षेपकों को ब्याज सहित या ब्याज के बिना देय सम्पूर्ण रकम के संदाय पर, शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है तो वहां इस प्रकार शमनित अपराध की बाबत किसी अपराधी के विरुद्ध, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या आगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जा सकेगी और अपराधी यदि अभिरक्षा में है, तो उसे तत्काल उन्मोचित कर दिया जाएगा।

अग्रिम जमानत का प्रदान न किया जाना।

1974 का 2.

13ग. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन, किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत प्रदान नहीं करेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

13घ. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां सरकार या सरकार के सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

13ङ. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जो इसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, कर सकेंगी :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

विशेष लोक अभियोजक।

13च. सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिहित न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए प्रत्येक अभिहित न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में कम से कम दस वर्ष के अनुभव वाले किसी एक या एक से अधिक अधिवक्ता की नियुक्ति कर सकेगी। 5

अपराधों की बाबत अभिहित न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां।

13छ. (1) अभिहित न्यायालय, विचारण के लिए अभियुक्त को उसे सपुर्द किए बिना, अपराध का संज्ञान ले सकेगा और अभियुक्त व्यक्ति का विचारण करते समय, मजिस्ट्रेट द्वारा वारण्ट मामलों का विचारण करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। 1974 का 2

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, यथासम्भव, अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए अभिहित न्यायालय मजिस्ट्रेट समझा जाएगा।"। 1974 का 2

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने और इन कम्पनियों में निक्षेपकों (जमाकर्ताओं) के हितों के संरक्षण के आशय से राज्य सरकार ने "हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19)" अधिनियमित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोक्त अधिनियम में कुछ और उपबन्धों को सम्मिलित करने की संस्तुति की है। इन संस्तुतियों का परीक्षण किया गया और विचार किया गया कि इन नए उपबंधों का सम्मिलित किया जाना विद्यमान विधान में कतिपय कमियों को दूर करने में सहायक होगा जो इसे और अधिक भयोपरापी और प्रभावी बनाएगा। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख....., 2016

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख :....., 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) XXX XXX XXX

(ख) "निक्षेप" से, वित्तीय स्थापन के पास नियत अवधि के लिए ब्याज या किसी वस्तु के रूप में वापसी के लिए निक्षिप्त कोई धनराशि अभिप्रेत है;

(ग) "वित्तीय स्थापन" से, किसी स्कीम या इन्तजाम के अधीन अथवा किसी अन्य रीति में निक्षेप प्राप्त करने का कारबार करने वाला कोई व्यष्टि, व्यष्टियों का संगम या फर्म अभिप्रेत है किन्तु किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रणाधीन कोई निगम या सहकारी सोसाइटी अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ग) के अधीन यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी इसके अन्तर्गत नहीं है;

(घ) और (ङ) XXX XXX XXX

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 4 OF 2016

THE HIMACHAL PRADESH PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) AMENDMENT BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.

2. Amendment of section 2.

3. Insertion of new sections 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F and 13G.

Bill No. 4 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Act No. 19 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Amendment Act, 2016.

Amendment of Section 2.

Act No. 19 of 2000

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),—

(A) for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(b) "Deposit" includes and shall be deemed always to have included any receipt of money or acceptance of any valuable commodity by any Financial Establishment to be returned after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit, or in any other form, but does not include—

(i) amount raised by way of share capital or by any way of debenture, bond or any other

instrument covered under the guidelines given, and regulations made, by the Securities and Exchange Board of India, established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, 15 of 1992

(ii) amounts contributed as capital by partners of a firm,

(iii) amounts received from a Scheduled bank or Co-operative bank or any other banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act,1949, 10 of 1949

(iv) any amount received from—

(a) the Industrial Development Bank of India,
(b) a State Financial Institution,
(c) any financial institution specified in or under section 6-A of Industrial Development Bank of India Act, 1964, 18 of 1964 or
(d) any other institution that may be specified by the Government in the behalf,

(v) amount received in the ordinary course of business by way of—

(a) security deposit,
(b) dealership deposit,
(c) earnest money, or
(d) advance against order for goods or services,

(vi) any amount received from an individual or a firm or an association of individuals not being a body corporate, registered under any enactment relating to money lending which is for the time being in force in the State, and

(vii) any amount received by way of subscription in receipt of a Chit;

Explanation-I.—"Chit" has the meaning as assigned to in clause (b) of section 2 of the Chit Funds Act, 1982. 40 of 1982

Explanation-II.—A transaction is not a Chit within the meaning of this clause, if in such transaction,—

(i) some alone, but not all, of the subscribers get the prize amount without any liability to pay future subscriptions, or

(ii) all the subscribers get the Chit amount by turns with a liability to pay future subscriptions.

Explanation.— Any credit given by a seller to a buyer on the sale of any property (whether movable or immovable) shall not be deemed to be a deposit for the purposes of this clause;

(c) **"Financial Establishment"** means an individual, an association of individuals, a firm or a company registered under the Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013, carrying on the business of receiving deposits under any scheme or arrangement or in any other manner but does not include a corporation or a co-operative society owned or controlled by any State Government or the Central Government, or a banking company as defined under clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949;"; and 1 of 1956 18 of 2013 15 of 1992

(B) after clause (e), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(f) "Designated Court" means the Designated Court constituted under section 6.".

Insertion of new sections 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F and 13G

3. After section 13 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:—

"Report and return by Financial Establish-ments.

13A. (1) Every Financial Establishment which commences or carries on its business as such in the State on or after the commencement of this Act, shall make a report to the District Collector and the Superintendent of Police of the district, mentioning the details about its authority to carry on such business, the location of the Financial Establishment in the State and its main branch office, if any, wherever situated, permanent address of every person responsible for the management of, or conducting of the business or affairs of, the Financial Establishment in the State and such other particulars as may be prescribed.

(2) Such report shall be made within seven days from the date on which a Financial Establishment commences or carries on its business as such in the State :

Provided that a Financial Establishment which has been carrying on its business as such prior to the commencement of this Act shall make such report within seven days from the date of such commencement.

(3) Every Financial Establishment shall furnish a quarterly return within one month of the expiry of each quarter of a financial year to the District Collector and the Superintendent of Police of the district in respect of its business and financial position, the area of its investment and the location of investments of moneys made by it within and outside the State, if any, and such other particulars as may be prescribed.

(4) Whoever contravenes the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.

Compounding of offence.

13B. (1) An offence punishable under section 5 may, before the institution of the prosecution, be compounded by the Competent Authority or after the institution of the prosecution, be compounded by the Competent Authority with the permission of the Designated Court on payment of the entire amount due to the depositors with or without interest.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken or continued against the offender in respect of the offence so compounded and the offender, if in custody, shall be discharged forthwith.

Anticipatory bail not to be granted.

13C. Notwithstanding anything contained in section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973, no Court shall grant anticipatory bail to any person under this Act.

2 of 1974

Protection of action taken in good faith.

13D. No suit or other proceedings shall lie against the Government or the Competent Authority or an officer or employee of the Government for anything which is, in good faith, done or intended to be done under this Act.

Power to remove difficulties.

13E. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

Special Public Prosecutor.

13F. The Government shall, by Notification, appoint one or more Advocates of not less than ten years standing practice as Special Public Prosecutor for each of the Designated Court for the purpose of conducting cases.

Procedure and powers of Designated Court regarding offences.

13G. The Designated Court may take cognizance of the offence without the accused being committed to it for trial and in trying the accused person, shall follow the procedure prescribed in the Code of Criminal Procedure, 1973 for the trial of warrant cases by Magistrates.

2 of 1974

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, so far as may be, apply to the proceedings before a Designated Court and for the purposes of the said provisions, a Designated Court shall be deemed to be a Magistrate.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to control the activities of Non-Banking Financial Companies in the State and to protect the interests of the depositors in these companies, the State Government has enacted "The Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Act No. 19 of 2000)". The Reserve Bank of India has recommended some more provisions to be incorporated in the Act *ibid*. These recommendations have been examined and it is considered that the incorporation of these new provisions would help to remove certain infirmities in the existing legislation and make it more deterrent and effective. This has necessitated amendments in the Act, *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

SHIMLA :

The.....2016.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

THE HIMACHAL PRADESH PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) AMENDMENT BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Act No. 19 of 2000).

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

(DR. BALDEV SINGH)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA :

The.....2016.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 2000 (ACT NO. 19 OF 2000) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Section :

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) XXX XXX XXX

(b) "deposit" means the deposit of a sum of money made with a Financial Establishment for a fixed period, for interest or return in any kind;

(c) "Financial Establishment" means, an individual, an association of individuals or a firm carrying on the business of receiving deposits under any scheme or arrangement or in any other manner but does not include a corporation or a co-operative society owned or controlled by any State Government or the Central Government, or a banking company as defined under section 5 (c) of the Banking Regulation Act, 1949;

(d) and (e) XXX XXX XXX